



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)



CIN: U32201UP1999SGC024928

GSTN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स (जी०एस०टी० सेल) Corporate Tax (GST Cell)

कक्ष संख्या-320, तृतीय तल, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001, ई-मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com

Room No. - 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX - 8320,

दिशा-निर्देश सं०: 13/उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सेल /2019

दिनांक 19/01/2019

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी

उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०।

विषय:- 01 जनवरी, 2019 से लागू जी०एस०टी० संशोधन के सम्बन्ध में।

(i) GST-TDS के सम्बन्ध में-

CGST Act की धारा 51 के अनुसार GST-TDS काटने का दायित्व निम्नलिखित संस्थाओं/विभागों पर है-

- A department or establishment of the Central Government and State Government or,
- Local Authority or,
- Government Agencies or,
- Such persons or category of persons as may be notified by the Government on the recommendations of the council-

I- An Authority or a board or any other body-

- Set up by an act of Parliament or a State legislature or
- Established by any Government,

With fifty-one percent or more participation by way of equity or control, to carry out any function,

II- Society established by the Central Government or the State Government or a Local Authority under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860),

III- Public Sector undertakings.

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन सं०-73/2018-Central Tax दिनांक 31 December, 2018 के अनुसार उपरोक्त संस्थाओं/विभागों द्वारा आपस में किये गये भुगतान पर GST-TDS की प्रयोज्यता समाप्त कर दी गयी है। संक्षेप में, निगम द्वारा उपरोक्त किसी को भुगतान करते समय GST-TDS नहीं काटा जायेगा एवं तदनुसार उपरोक्त द्वारा निगम को भुगतान पर GST-TDS नहीं काटा जायेगा। चूंकि GST-TDS काटने का दायित्व उपरोक्त संस्थाओं/विभागों का ही है एवं अब इनके द्वारा निगम को किये गये भुगतानों पर GST-TDS नहीं काटा जाना है, अतः निगम को प्राप्त किसी भी भुगतान पर GST-TDS नहीं कटेगा। किसी अन्य से भुगतान प्राप्त करते समय इकाईयां सुनिश्चित करें कि अन्य द्वारा GST-TDS न काटा गया हो।

उपरोक्त को समझने के लिए उदाहरण निम्नानुसार है:-

- Uttar Pradesh Power Corporation Ltd. (PSU) द्वारा Indian Railways (Department of Central Government) को भुगतान करने पर UPPCL द्वारा GST-TDS नहीं काटा जायेगा।
- उपरोक्त के विपरीत Indian Railways द्वारा UPPCL का भुगतान करने पर Indian Railways द्वारा GST-TDS नहीं काटा जायेगा।
- UPPCL (PSU) द्वारा Lucknow Department Authority (LDA) (Local Authority) को भुगतान करने पर UPPCL द्वारा GST-TDS नहीं काटा जायेगा।
- इसके विपरीत Lucknow Department Authority (LDA) द्वारा UPPCL का भुगतान करने पर Lucknow Department Authority (LDA) द्वारा GST-TDS नहीं काटा जायेगा।
- UPPCL (PSU) द्वारा NTPC (PSU) को भुगतान करने पर UPPCL द्वारा GST-TDS नहीं काटा जायेगा।
- इसके विपरीत NTPC (PSU) द्वारा UPPCL का भुगतान करने पर NTPC (PSU) द्वारा GST-TDS नहीं काटा जायेगा।

(2) **Security Services पर RCM के संबंध में-**

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन सं०-29/2018-Central Tax (Rate) दिनांक 31 December, 2018 के तहत Security Services को भी Reverse Charge Mechanism (RCM) के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। जिसके अनुसार अगर कोई Security Services किसी Body Corporate (Company) के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से ली गयी है तो उस पर RCM के प्रावधान लागू होंगे। RCM के अन्तर्गत आने वाली Services में जी०एस०टी० के भुगतान एवं Return Filing का दायित्व Service Receiver का होता है।

यह संशोधन 01 जनवरी, 2019 से लागू होंगे।

RCM की प्रयोज्यता को निम्नलिखित उदाहरण से समझा जा सकता है:-

A. Services supplied before 1st January, 2019

S No.	Date of Invoice	Date of Payment	Time of Supply	Applicability of Reverse Charge
1	20.12.2018	30.12.2018	20.12.2018	Wherever services have been provided prior to 01.01.2019 and invoice has been issued by the service providers prior to such date, no liability under RCM arises even if the payment to the supplier has been made post 1.1.2019, as the time of supply has arisen prior to such date only.
2	10.12.2018	31.01.2019	10.12.2018	
3	10.12.2018	25.12.2018	10.12.2018	

B. Services supplied on or after 1st January, 2019

S No.	Date of Invoice	Date of Payment	Time of Supply	Applicability of Reverse Charge
1	31.01.2019	05.02.2019	31.01.2019	RCM would be applicable
2	31.01.2019	12.12.2018 (Advance Payment)	12.12.2018	No RCM on such advance
3	31.01.2019	Total Payment: Rs. 5 Lacs - Advance paid on 12.12.2018: Rs. 3 Lacs - Rs. 2 Lacs on 05.02.2019	12.12.2018 31.01.2019	RCM not applicable for Rs. 3 Lacs. However, w.r.t Rs.2 Lacs liability would vest on the service recipient under RCM

(3) **वित्तीय वर्ष 2017-18 के GST- I.T.C. के संबंध में -**

Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) द्वारा निर्गत आदेश संख्या 02/2018 (Central Tax) दिनांक 31.12.2018 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए I.T.C. मार्च, 2019 के जी०एस०टी० रिटर्न दाखिल करने तक ही लिया जा सकता है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अभी तक कोई I.T.C. Claim नहीं किया गया है, इसलिए परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय- सामग्री प्रबन्ध, मुख्यालय भुगतान इकाई, केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ, प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट इकाई को यह निर्देशित किया जाता है कि वह I.T.C. के संबंध में सूचना जी०एस०टी० सेल मुख्यालय को दिनांक 15.02.2019 तक उपलब्ध कराये। जी०एस०टी० सेल मुख्यालय द्वारा पत्र सं० 02/उ०म०प्र०(टैक्स)/जी०एस०टी० सेल/2017-18 दिनांक 25.07.2017 को निर्गत किया गया है, जिसके अन्तर्गत I.T.C. से संबंधित दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

(4) Income Tax- Tax Collected at Source (TCS) पर GST के संबंध में-

Circular No. 76/50/2018-GST, दिनांक 31.12.2018 के अन्तर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे प्रकरण जहां Income Tax- Tax Collected at Source (TCS) का प्राविधान है, वहां Taxable Value में TCS को शामिल कर जी0एस0टी0 चार्ज किया जायेगा।

उदाहरणार्थ-

Particulars	Amount (Rs.)
Scrap sale value	100.00
TCS @ 1%	1.00
Taxable Value	101.00
GST @ 18%	18.18
Total	119.18

(पी0एन0 सहाय)

मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)

दिशा-निदेश सं०: 13 /उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सेल /2019 तददिनांक 19/01/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1- प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक निजी सचिव, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
- 2- निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 /केस्को लखनऊ/ वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर।
- 3- मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
- 4- उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ।
- 5- उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/कारपोरेट लेखा) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
- 6- उप मुख्य लेखाधिकारी (निधि), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
- 7- उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
- 8- अनुसचिव (स0 प्र0 लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/पी0एम0यू0, उ0प्र0 पा0 का0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 10- अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, रूम नं0 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(पी0एन0 सहाय)

मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)